



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253717
CG-DL-E-15042024-253717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1631]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946

No. 1631]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

(सं. 07 / 2023)

विषय: श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

का.आ. 1716(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22.03.2024 की अधिसूचना संख्या 81/2023 के पैरा 2 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को निम्न लिखित मात्रा में प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है:

क्रम सं.	दश का नाम	मात्रा
1.	श्रीलंका	10,000 मी.ट.
2.	संयुक्त अरब अमीरात	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 01.03.2024 और 02/2023 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पूर्व में ही अधिसूचित 24,400 मी.ट. के अतिरिक्त 10,000 मी.ट.

2. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से श्रीलंका को 10,000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 01.03.2024 और 02/2023 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पूर्व में ही अधिसूचित 24,400 मी.ट. कोटा के अतिरिक्त 10,000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति दी गई है।

[फा. सं. 01/91/191/060/एम-24/ईसी/(ई-38291)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2024

(No. 07/2023)

Subject: Export of Onions (under HS code 0703 10 19) to Sri Lanka and UAE.

S.O. 1716(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in accordance with the provision contained in Para 2 of Notification No. 81/2023 dt. 22.03.2024, the Central Government permits the export of the following quantity of onion (under HS code 0703 10 19) to Sri Lanka and UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL):-

Sl.No.	Country Name	Quantity
1.	Sri Lanka	10,000 MT
2.	UAE	Additional 10,000 MT quantity of Onions over and above 24,400 MT quantity already notified vide DGFT Notification No. 65/2023 dt. 01.03.2024 and 02/2023 dt.03.04.2024 .

2. Effect of the Notification:

Export of 10,000 MT of onions (under HS code 0703 10 19) to Sri Lanka through National Cooperative Exports Limited (NCEL) has been allowed. Further, export of additional 10,000 MT quantity of Onions (under HS code 0703 10 19) through NCEL to UAE, over and above the quota of 24,400 MT already notified vide DGFT Notification No. 65/2023 dt. 01.03.2024 and 02/2023 dt.03.04.2024, has been allowed.

[F.No.01/91/191/060/AM-24/EC (e-38291)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.